(1175)

पत्रांक–15/नीति नि०–07–14/2013 का० 10785

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांकः– 12/11/13

विषयः स्थानान्तरित/पदस्थापित स्थान पर योगदान सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के समक्ष कई ऐसे दृष्टान्त आयें हैं, जिनमें स्थानान्तरण/पदस्थापन के पश्चात् संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर योगदान न देकर उसे स्थगित करने हेतु संबंधित प्राधिकार से अनुरोध किया जाता है एवं इसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में मामला दायर किया जाता है।

सरकार द्वारा किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश के आलोक में संबंधित कर्मियों द्वारा सर्वप्रथम नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पर उन्हें कोई आपत्ति है तो प्रभावित कर्मी संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं अथवा माननीय न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।

परन्तु राज्य सरकार द्वारा किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी आदेश के आलोक में संबंधित कर्मचारियों/पदाधिकारियों को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत अपने नवपदस्थापित स्थान में योगदान सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में इसे घोर अनुशासनहीनता मानकर संबंधित कर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह० 11/11/13

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव